न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 269–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–12–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर द्वारा तहसीलदार, तहसील बुरहानपुर के प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/2011–12

पाण्डूरंग पिता काशीनाथ महाजन
निवासी ग्राम नाचनखेड़ा तहसील व जिला
बुरहानपुर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन,

.....अनावेदक

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल लॉयर, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील व जिला बुरहानपुर के प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/2011–12 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 07–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नाचनखेडा स्थित कृषि भूमि 0.34 आरे रिकार्ड में म0प्र0शासन दर्ज हो जाने से रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/2011–12 दर्ज किया जाकर संबंधित बन्दोबस्त के पूर्व एवं पश्चात् के एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया कि बंदोबस्त की त्रुटि से रकवा 0.34 हेक्टर शासकीय भूमि में दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटि बंदोबस्त की होने के कारण जॉच की जाकर दिनांक 13–1–12 को आदेश पारित करते हुये आवेदक व उसके भाईयों का नाम अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया गया । उक्त प्रकरण में राजस्व अभिलेख दुरूस्त होने के पश्चात् तत्कालीन तहसीलदार बुरहानपुर का स्थानान्तरण होने जाने के कारण वर्तमान तहसीलदार बुरहानपुर के द्वारा लगभग एक वर्ष पश्चात् दिनांक 6–12–12 को प्रकरण गिरदावरी में प्राप्त होना बताते हुये प्रकरण में त्रुटिपूर्ण आदेश होने से पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–12–12 को संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि प्रकरण में विवादित भूमि आवेदक की पूर्वजों के स्वत्व की है । बंदोबस्त की कार्यवाही में आवेदक की भूमि के तीन टुकडे कर दिये गये, जिसमें से एक भाग 293/1 आवेदक के पूर्वज के नाम रही तथा शेष दो भाग 293/2 क्षेत्रफल 0.39 एकड़ एवं 293/3 क्षेत्रफल 0.50 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल/घास अंकित कर दिया गया । उक्त त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया । तहसील न्यायालय ने बिना किसी कारण के तहसील न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13–1–12 के पुनरावलोकन किये जाने के लिये दिनांक 6–12–12 को आदेश पत्रिका प्रारंभ की जिसमें लिखा कि पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किया गया है, पूर्व आदेश में क्या त्रुटि है इसका

कोई उल्लेख उक्त आदेश पत्रिका में नहीं किया गया एवं प्रकरण को पुनरावलोकन में लेने की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी को अग्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–12–12 को आदेश पारित कर पुनरावलोकन की अनुमति दी गई । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने न्यायदृष्टांत 2000 आरएन 76 में अभिनिर्धारित किया है कि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवायी का अवसर दिये बिना प्रदान नहीं की जा सकती । अतः माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश 7–12–12 निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि सुधार हेतु तहसील न्यायालय के आदेश को पुनर्विलोकन की अनुमति देने में विधिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 6–12–12 के पुनर्विलोकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त प्रकृति का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जबकि उनके द्वारा विस्तृत प्रस्ताव कारण सहित अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि पुनर्विलोकन की अनुमति में दूसरे पक्ष को सुना जाना आवश्यक है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति संबंधी पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे तहसीलदार से पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनर्विलोकन की अनुमति के संबंध में आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–12 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर